

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ4(6)पंरावि/प्रशा.2/है.मि./स्था0/2019/2579 जयपुर, दि0:-30-9-21


आदेश

निम्नलिखित हैण्डपंप मिस्त्रियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित पंचायत समिति में निम्नानुसार किये जाते हैं:-

| क्र. स. | कार्मिक का नाम (सर्व श्री) | पद | कहाँ से | कहाँ को |
|---------|-------------------------------|--------------------|--|--|
| 1. | श्री भैरूलाल जाट | हैण्डपम्प मिस्त्री | पंचायत समिति बनेडा (भीलवाड़ा) से पंचायत समिति कोटडी, (भीलवाड़ा) स्थानान्तरणाधीन | स्थानान्तरण निरस्त कर पंचायत समिति बनेडा (भीलवाड़ा) यथावत। |


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

- नोट:-
1. कार्मिक स्वीकृत पदों से अधिक अधिशेष नहीं हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जावे।
 2. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम एवं पदनाम से है।
 3. कार्मिक के द्वारा माननीय न्यायालय/अधिकरण से स्थानान्तरण पर स्थगन प्राप्त किया हुआ है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
 4. जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
 5. यदि कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना हेतु रिक्त पद नहीं होने पर पासपरिक अथवा अधिकतम अवधि से पदस्थापित कर्मचारी को निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित करने के आदेश जारी करें।
 6. कार्मिकों के संस्थापन संबंधी रिकार्ड से मिलान कर ही स्थानान्तरण आदेश जारी करें।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शा0सचिव(द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बनेडा जिला भीलवाड़ा।
5. संबंधित हैण्डपंप मिस्त्री।
6. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
7. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शा0सचिव(द्वितीय)